B.A Part III Edu. Ry
Paper VI
Edu. & Adjustment of mentally retarded Children

(1)

मंद-बुद्धि के बालकों के लिए एक शिक्षण कार्यक्रम (की शिक्षा और अभियोजन)
(Education & Adjustment of mentally retarded Children)

मानसिक दुर्बल या मन्द बुद्धि के बच्चों की समुचित शिक्षा एवं उनके अभियोजन के लिए विभिन्न उपायों को ~~समाने से~~ समझ लेने पर भी इस श्रेणी के सभी बालकों को शिक्षा देना संभव नहीं होता है। जिन बच्चों की बुद्धि-लब्धि 26 से कम हैं उन्हें किसी भी तरह शिक्षित नहीं किया जा सकता है। इन्हें जीवित रहने के लिए कदम-कदम पर देख-भाल तथा संरक्षण की जरूरत होती है। जिन बालकों की बुद्धि-लब्धि 50 से कम हो, उन्हें साधारण शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन, पब्लिक स्कूल में शिक्षा इनके लिए ~~भी~~ संभव नहीं है। केवल ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से ऊपर हो, शिक्षा के योग्य माने जाते हैं।

शिक्षा-विशेषज्ञों एवं मनोवैज्ञानिकों ने मंद-बुद्धि के बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयोजनों की सिफारिश की है —

(1) उपयुक्त पाठ्यक्रम (Suitable syllabus) :—

मन्दबुद्धि के बालकों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का होना बहुत आवश्यक है। कारण यह है कि जो पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के लिए बनाया जाता है वह मन्द बुद्धि के बालकों के लिए काफी कठिन हो जाता है। अतः अपने पाठ्यक्रम को न समझ पाने के कारण वे शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वर्ग में साथियों के सामने अपनी कमजोरी जाहिर होने पर उन में लज्जा एवं हीनभाव पैदा होने लगता है, जिसके कारण वे वर्ग से अनुपस्थित रहने लगते हैं, घर पर झूठ बोलते हैं, तथा आवारागर्दी में समय बिताने लगते हैं।

इस तरह एक तो वे ऐसे पाठ्यक्रम से कुछ लाभ नहीं उठा पाते हैं और दूसरे वे बाल-अपराध के शिकार बन जाते हैं। इसलिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने मन्द-बुद्धि के बालकों की योग्यता के अनुसार

(7)

आसान पाठ्यक्रम बनाने की सिफारिश की है। E. H. Martin के (मार्टन) (अपने समय) अनुसार पाठ्यक्रम में पढ़ने (reading), लिखने तथा Spelling की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी शिक्षा का प्रारम्भ पढ़ने से होना चाहिए जिस में भोजन के नाम, घरेलू वस्तुओं के नाम, पशुओं के नाम, और इसी तरह अन्य परिचित वस्तुओं के नाम शामिल हो। इसके बाद के अर्थ (हिज्जे, spelling) तथा लिखावट साथ-साथ चलना चाहिए।

मार्टन ने विज्ञान के विषयों के बारे में कहा है कि ऐसे बालकों को पहले पशुओं तथा पौधों की मौसमी (Seasonal) क्रियाओं की शिक्षा प्रदर्शन (Demonstration) द्वारा दी जानी चाहिए। इसी तरह अन्य घरेलू भौतिक विज्ञान (Physics) तथा रसायन विज्ञान (Chemistry) के संबंध में बालकों को सिखाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में हस्तकला (manual skills) जैसे दरजी का काम (tailoring), बढ़ई का काम (Carpentary) खिलौना बनाने का काम (toy making) आदि की भी व्यवस्था आवश्यक है।

लेकिन, कुछ विद्वानों ने इस प्रयोजन का खण्डन किया है तथा उनके अनुसार यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि एक ही वर्ग में दो या तीन तरह के पाठ्यक्रम चलायें जाए। दूसरी बात यह है कि यह प्रयोजन काफी खर्चीला है तथा इसके लिए काफी कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।

(2) विशिष्ट वर्ग (Special Class) — उपर्युक्त प्रयोजनों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बालकों के लिए अलग एक विशिष्ट वर्ग की सिफारिश की है। अमेरिका तथा रूस में इस प्रकार की व्यवस्था व्यवहार में आ चुकी है और इसके संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इस व्यवस्था से बालकों को कई तरह से लाभ पहुँच सकते हैं। पहला, उनकी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने एवं वर्ग में लागू करने में सुविधा होगी, क्योंकि वर्ग के सभी बालक समान बौद्धिक स्तर के होंगे। दूसरा, बालकों पर वैयक्तिक रूप से ध्यान देना आसान होगा। तीसरा, बालकों की योग्यता एवं अभिरुचि के अनुकूल विशेष अध्ययन-विधि का उपयोग करना संभव हो सकेगा। चौथा, बालक हीनता की भावना से बच सकेगा।

फिर भी, कुछ विद्वानों ने भी इस शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की है। उनका तर्क है कि पृथक् कक्षा में ऐसे बालकों को रखने से वे सामान्य बालकों से धीरे-धीरे दूर हटते जायेंगे तथा बाद में उनके साथ अभियोजित होना एक समस्या बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि सामान्य बालकों की अपेक्षा वे अपने आप को न्यून समझने पर बाध्य होंगे जिससे हीन-भाव उत्पन्न होगा और तीसरी बात यह है कि यह व्यवस्था असार्वलौकिक है।

(3)

(3) उपयुक्त अध्यापन-विधि (Suitable teaching method):—
मन्द-बुद्धि के बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए उचित अध्ययन-विधि भी नितांत आवश्यक है। इस संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ऐसे बालक प्रयत्न तथा भूल द्वारा अधिक सीखते हैं। समझ कर सीखने की अपेक्षा रट कर सीखना अधिक पसन्द करते हैं। इसी तरह प्रदर्शन-विधि (Demonstration) के द्वारा वे सहज रूप से सीख पाते हैं। अतः शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे बालकों को पढ़ाते या सीखते समय इन सारी बातों का उपयोग करें।

(4) पाठेतर क्रिया (Extracurricular activity):—
मन्द बुद्धि के बालकों के शिक्षा-कार्यक्रम (educational programme) में मनोरंजन (recreations) की व्यवस्था भी जरूरी है। अतः किस्सा-कहानी, नाटक, संगीत तथा लयपुक्त (Rhythmical) अन्य क्रियाओं का प्रबन्ध होना चाहिए। बालकों की अभिरुचि तथा मनोवृत्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए। अनुकूल खेल-कूद का सुन्दर प्रबन्ध भी लाभप्रद सिद्ध होता है।

(5) चरित्र-निर्माण (Building-up character):—
सभी स्तरों के बालकों के चरित्र का निर्माण आवश्यक है, लेकिन मानसिक दुर्बल बालकों के लिए खास तौर पर इसकी व्यवस्था उनके शिक्षा-कार्यक्रम में होना जरूरी है। वास्तव में ऐसे बालकों की शिक्षा का उद्देश्य उन्हें किसी उपयुक्त व्यवसाय के योग्य बनाना है जिससे वे अपनी जीविका चला सकें। अतः उनमें ईमानदारी, उत्तरदायित्व की भावना, कर्तव्य पालन की भावना, आत्म-विश्वास, अपने मित्रों तथा अधिकारियों के साथ प्रभावपूर्ण (Effective) व्यवहार आदि गुणों का होना आवश्यक है। Kolstoe ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे बालकों में इन शीलगुणों को विकसित करें। इसी तरह Kirk & Johnson के अनुसार बालकों के शिक्षा-कार्यक्रम में उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को यथा-संभव बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(6) विशिष्ट निवासीय स्कूल (Special residential school):—
Berry ने मन्द-बुद्धि के बालकों की समुचित शिक्षा के लिए विशिष्ट निवासीय स्कूल की सिफारिश की है। E. H. Marten ने भी इस व्यवस्था का समर्थन किया है तथा बताया है कि इससे मन्द-बुद्धि के बालक कई अर्थों में लाभान्वित हो सकेंगे। (i) ऐसा व्यवस्था होने से उनकी योग्यता के अनुकूल विशेष पाठ्यक्रम बनाने, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने, उपयुक्त अध्यापन-विधि से शिक्षा देने तथा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य अनुकूल

क्रियाओं की व्यवस्था करने में काफी सुविधा होगी। (ii) शिक्षकों के लिए यह संभव हो सकेगा कि वे विद्यार्थियों पर वैयक्तिक रूप से ध्यान दे सकें। (iii) औसत या प्रतिभाशाली बालकों से अलग रहने पर वे हीनभाव के शिकार नहीं हो सकेंगे। (iv) समान बौद्धिक स्तर के होने के कारण बालकों में प्रतियोगिता (competition) की भावना उत्पन्न होगी जो शैक्षिक दृष्टि से काफी लाभप्रद है। इस तरह, शिक्षा के साथ-साथ बालकों के वैयक्तिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक अभिवर्द्धन की ओर ध्यान दिया जा सके।

इस प्रकार, उपर्युक्त शिक्षा-कार्यक्रम या योजना को कार्यान्वित करके मन्द-बुद्धि के बालकों को एक बड़ी हद तक सफलतापूर्वक शिक्षित एवं अभिवर्द्धनशील बनाया जा सकता है।